APPENDIX - XV

CERTIFICATE OF RECOGNITION

Chief Education Office
Dist- Udham Singh Nagar
(Name & Address of the issuing authority)

No. 9733-79 Date: 12-05-2023

To
Samar study hall girls school
Aliganj road, Kashipur
(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under Rule 2011- 17 (Sub Rule-(6) (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated 08.05.23 and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to Samar study hall girls school, Kashipur (Name & Address of school) for **class I to VIII** standard for the period Three (03). (no. of years) from the academic year 2022 to 2025 in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule section-10 of Uttarakhand (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 2022 to 2025 and is to be renewed at an interval of every Three years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the 2011- Rule 17 (Sub Rule-06) (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of ...... (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

Chairman
Samar Study Hall Girls School
Aligani Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child, -
    a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
    b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
    a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
    b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
    c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
    d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the 2011 (17) (rule/ clause of State Act).
    e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under 23 (Sub Rule-1) (rule/ clause of the state Act).
    f. The teachers perform his duties specified under 24 (Sub Rule-1) (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in Rule-19 (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the 1860 (Subrule-21) (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. Hindi (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under 2011 (Sub rule 17) (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

Chairman

Samar Study Hall Girls School
Aliganj Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

18. The school shall abided by the provisions of the 2009 (sub rule - 10)............ (State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this CEO, U.S. Nagar Uttarakhand. (Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the Education Department, U.S. Nagar. (Concerned State Authority).

Seal & Signature of issuing authority .... मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर

Name & Address of issuing authority ....

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

Chairman
Samar Study Hall Girls School
Aliganj Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

कार्यालय , मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांकः मान्यता / 6672-14 / 2022–2023 दिनांक 11-07-2022

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,
समर स्टडी हाल कन्या जू0हा0, अलीगंज रोड, काशीपुर।

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उप नियम–(6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन–पत्र और उसक कम में आपसे किये गये पत्राचार द्वारा विद्यालय को किये गये संस्तुति / निरीक्षण एवं जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25–06–2022 के आलोक में आपके विद्यालय **समर स्टडी हाल कन्या जू0हा0, अलीगंज रोड, काशीपुर** को कक्षा 01 से 08 (अंग्रजी माध्यम) तक संचालन हेतु तीन वर्ष 01–04–2022 सं 31–03–2025 तक की अवधि के लिए छात्र हित में इन प्रतिबन्धों के साथ समय वृद्धि प्रदान की जाती है कि वे अधिकतम छः माह के भीतर मानक एवं मानदण्डों / शर्तो को पूर्ण कर लेंगें।
प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता तक प्रदान करेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 में वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाते का संचालन करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसकों आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगेः–:

एक– किसी भी नामंकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

दो– किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

तीन– प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उप नियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

चार– अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

पांच– शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा–1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के

x2

Chairman
Samar Study Hall Girls School
Aliganj Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत जैसे सभी

शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

सात– शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की उप धारा(1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्रावधानित शिक्षों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

आठ– शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 मे उद्वत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगाः–

एक – विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

दो– कुल निर्मित क्षेत्र।

तीन– खेल के मैदान का क्षेत्र।

चार– कक्षा–कक्षों की कुल संख्या।

पांच– प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष।

छः– बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय।

सात– पेयजल सुविधा।

आठ– मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर।

नौ– बाधा रहित पहुँच।

दस– शिक्षण अधिगत सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्ताकलय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किये जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागम कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या–92/2016–17 है। इस कार्यालय से किसे प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।

17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

43

Chairman
Samar Study Hall Girls School
Aliganj Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
21. अध्यापकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता शासनादेश के अनुसार होनी चाहिए।
22. भूमि तथा भवन/किराया नामा विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।
23. अग्निशमन अधिकारी का प्रताण पत्र होना अनिवार्य है।
24. एन0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुस्तकें व अन्य शर्ते लागू की जायेंगी।
25. ज्येवेनाइल एक्ट का पालन किया जाना अनिवार्य है।
26. छात्र/छात्रा की सुरक्षा दृष्टि से विद्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरे अवश्य लगे होने चाहिए।
27. अधिकतम विद्यालय 6 माह के भीतर निर्धारित मानकों/शर्तों को पूर्ण न करने पर मान्यता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

पृ0सं0: मान्यता/ /2022–23 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), ऊधम सिंह नगर।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

Chairman
Samar Study Hall Girls School
Jugani Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal
SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner